राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–18, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seiaacg@gmail.com

विषयः– राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 14/07/2023 को संपन्न 475वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 475वीं बैठक दिनांक 14/07/2023 को डॉ. बी.पी. नौहारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार घोषकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री डी. राहुल वेंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स हरे कृष्णा स्टील पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बेन्द्री, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2438)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 429922/2023, दिनांक 19/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–बेन्द्री, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 113/4, 122/1, 123/1, 123/3, 123/4, 123/5, 123/6, 113/1(पार्ट), 113/2(पार्ट),

115/1(पार्ट), 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 110/6(पार्ट) एवं 114/1, कुल क्षेत्रफल–3.538 हेक्टेयर में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, एम.एस.पाईप्स–1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, जी.आई. पाईप्स–1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, फेब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स–50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, स्क्रैपफोल्डिंग व शटरिंग–50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 4.7 करोड़ रूपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 475वीं बैठक दिनांक 14/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर लाल दास, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, एम.एस.पाईप – 1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, जी.आई. पाईप – 1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, फेब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स – 50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, स्क्रैपफोल्डिंग व शटरिंग – 50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 31/03/2021 को जारी की गई, जो कि उत्पादन प्रारंभ माह के प्रथम दिन से 12 माह की अवधि तक वैध है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के पु. ज्ञापन क्रमांक 2565/नग्रानि/धारा–16/पीएल–130/21/2022 रायपुर, दिनांक 22/04/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार वर्तमान भू–उपयोग कृषि से औद्योगिक (MANUFACTURE OF HOT ROLLED AND COLD ROLLED PRODUCTS OF STEEL) प्रयोजन हेतु परिवर्तित करते हुए विकास अनुज्ञा जारी किया गया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार खसरा क्रमांक 110/6, 113/4, 122/1, 123/1, 123/3, 123/4, 123/5, 123/6, 113/1, 113/2, 115/1, 122/4, 122/2, 122/3, 122/5 व 114/1 मेसर्स हरे कृष्णा स्टील पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर – श्री अभिनव अग्रवाल) के नाम पर है।

4. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी ग्राम–उरला 4.1 कि.मी., निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 10 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 36 कि.मी. की दूरी पर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in Ha.)	Area (%)
1.	Building Sheds	1.252	35.38
2.	Road	0.215	6.07
3.	Green belt Area	1.4152	40.00
4.	Open land Area	0.6558	18.55
	Total	**3.538**	**100**

6. रॉ–मटेरियल :–

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets	32,000	Open Market	By Road

7. प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निम्नानुसार है:–

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Existing Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products : 30,000 MTPA M.S. Pipe : 1,00,000 MTPA G.I. Pipe : 1,00,000 MTPA Fabricated Metal products : 50,000 MTPA Scaffolding, Shuttering : 50,000 MTPA

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – परियोजना द्वारा बताया गया कि वर्तमान में उद्योग स्थापना का कार्य किया जा रहा है। कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रि–हिटिंग फर्नेश आधारित रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का बैग फिल्टर लगाया जाना प्रस्तावित है एवं 35 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। समिति द्वारा पाया गया कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति में चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने की शर्त निहित की गई है। समिति का मत है कि चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने हेतु विस्तृत गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल – 700 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग – 1,300 टन प्रतिवर्ष एवं घलाई ऐश 1,440 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाना प्रस्तावित है। घलाई ऐश को ईट निर्माण इकाइयों में विक्रय किया जाना प्रस्तावित है।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 9 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाएगा। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। समिति का मत है कि भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण / जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 4,500 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाना प्रस्तावित है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.व्ही.ए. के 2 नग डी.जी. सेट ऊंचाई (5 मीटर) की चिमनी के साथ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.4152 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 3,528 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक किया जाएगा।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3260(अ), दिनांक 20 / 07 / 2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the

Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए/ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

ii. Project proponent shall submit certified compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.

v. Project proponent shall submit information regarding the distance from the lease area to the nearest school, nearest hospital, National Highway, State Highway and Kharun river.

vi. Project proponent shall submit the Central Ground Water Authority NOC for uses of water.

vii. Project proponent shall submit technical calculation of water demand alongwith water balance chart mentioning domestic usage, industrial usage, plantation purpose, dust seppression purpose etc.

viii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier (if any) along with its capacity use in reheating furnace.

ix. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

x. Project proponent shall submit existing pollution load calculation with particulate matter emission shall be less than 30 mg/Nm^3.

xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xiv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project Proponent shall submit a layout of area proposed for plantation, earmarking atleast 10 to 15m wide green belt all along the pheriphery of the project area.

xviii. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of minimum 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for minimum 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of minimum 40%.

xix. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xxi. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स बी.के. रोलिंग मिल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2436)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी1 / 429695 / 2023, दिनांक 19 / 05 / 2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–सरोरा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 30 / 1क, 30 / 1ख, 30 / 1ग, 30 / 1घ, 30 / 2 एवं 31 / 2, कुल क्षेत्रफल–1.979 हेक्टेयर में हेक्टेयर में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 4.12 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06 / 07 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 14/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरिश कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायपुर से रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस. बी.टी.डी. बार, एंगल, फ्लैट, स्क्वायर) क्षमता–30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 03/04/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 31/12/2023 तक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–उरला 3.1 कि.मी., दूर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 9 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 30 कि.मी. की दूर स्थित है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर, परिवर्तित शाखा, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 23/02/2005 द्वारा 30/1क, 30/1ख, 30/1ग, 30/1घ एवं 30/2, कुल क्षेत्रफल 1,32,348 वर्गफीट के भूमि अकृषि में परिवर्तन हेतु जारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि भूमि खसरा क्रमांक 31/2 के भूमि आकृषि में परिवर्तन हेतु जारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार भूमि श्री हरीश अग्रवाल, डायरेक्टर के नाम पर है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in Ha.)	Area (%)
1.	Building Sheds	0.6435	32.52
2.	Road/ Paved Area	0.2205	11.14
3.	Green belt Area	0.6570	33.20
4.	Open land Area	0.4580	23.14
	Total	**1.979**	**100**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उद्योग के लिए प्रस्तुत लेण्ड एरिया स्टेटमेंट में वृक्षारोपण हेतु कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत भू–भाग को आरक्षित किया गया है।

समिति का मत है वृक्षारोपण हेतु आरक्षित भू–भाग के क्षेत्रफल को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत करते हुए संशोधित लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **रॉ–मटेरियल :–**

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets / Ingots	31,000	Open Market	By Road

7. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –**

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 30,000 MTPA

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल स्थापित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्थापित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का बैग फिल्टर लगाया गया है एवं 35 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना बताया गया है। फ्यूजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–600 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–400 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। साथ ही ऐश 1,230 टन प्रतिवर्ष जनित होता है, जिसे ईट निर्माण इकाइयों को विक्रय किया जाता है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 5 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी द्वारा 5 घनमीटर प्रतिदिन हेतु दिनांक 10/06/2021 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग/ आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कूलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 900 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 25 के.वी.ए. का डी.जी. सेट ऊंचाई (5 मीटर) की चिमनी के साथ स्थापित किया गया है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.653 हेक्टेयर (33%) क्षेत्र में 1,632 नग पौधों का वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका का क्षेत्रफल 33% से बढ़ाकर न्यूनतम 40% किया जाना आवश्यक है एवं वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक किया जाएगा।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

ii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

iii. Project proponent shall submit the land diversion documents of khasra no. 31/2 from competent authority.

iv. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.

vii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

viii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.

ix. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

x. Project Proponent shall submit detailed proposal for maintaining zero liquid discharge condition.

xi. Project proponent shall submit the details of solid waste generation from the unit.

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xvi. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xviii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xix. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of minimum 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for minimum 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt

development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of minimum 40%.

xx. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xxi. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xxii. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स सिंघ इस्पात, रावांभाठा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला–रायपुर, (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2434)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 429825/2023, दिनांक 19/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रावांभाठा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 720/12 एवं 720/13, कुल क्षेत्रफल–0.417 हेक्टेयर में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता – 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 1.2 करोड़ रूपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 475वीं बैठक दिनांक 14/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 31/10/2020 को जारी की गई, जो कि बढ़े हुये उत्पादन क्षमता, प्रारंभ माह के प्रथम दिन से 12 माह की अवधि तक वैध है। समिति का मत है कि उत्पादन प्रारंभ माह की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **भू-स्वामित्व** – भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार भूमि मेसर्स सिंघ इस्पात, रावांभाठा रायपुर के नाम पर है।

3. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- समीपस्थ आबादी ग्राम–उरला 3 कि.मी., निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 3.7 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 22 कि.मी. की दूरी पर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Land use	Area (in Ha.)	Area (%)
1.	Building Sheds	0.159	38.13
2.	Road / Paved Area	0.056	13.43
3.	Green belt Area	0.139	33.33
4.	Open land Area	0.063	15.11
	Total	**0.417**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल** :–

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets / Ingots	31,500	Open Market	By Road

6. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी** –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 30,000 MTPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल स्थापित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्थापित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का बैग फिल्टर लगाया गया है एवं 35 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना बताया गया है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्कैल–600 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–900 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्कैल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। साथ ही ऐश 1,320 टन प्रतिवर्ष जनित होता है, जिसे ईंट निर्माण ईकाइयों को विक्रय किया जाता है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु क्रेश वॉटर कुल 7.5 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 2.5 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी द्वारा 7.5 घनमीटर प्रतिदिन हेतु दिनांक 08/01/2022 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग/ आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 950 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.वी.ए. के 2 नग डी.जी. सेट ऊंचाई (5 मीटर) की चिमनी के साथ स्थापित है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – उद्योग का क्षेत्रफल कम होने के कारण हरित पट्टिका के विकास हेतु 0.139 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 348 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल न्यूनतम 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उद्योग परिसर के 5 कि.मी. की परिधि के भीतर सहमति प्राप्त भूमि में शेष 7 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक किया जाएगा।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling

units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

ii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

iii. project proponent shall submit information regarding the distance from the lease area to the nearest school, nearest hospital, National Highway, State Highway and Kharun river.

iv. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.

vii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.

viii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

ix. Project Proponent shall submit detailed proposal for maintaining zero liquid discharge condition.

x. Project proponent shall submit the details of solid waste generation from the unit.

xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xiv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xv. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of minimum 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for minimum 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of minimum 40%.

xix. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xxi. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स आदित्य स्टील्स, प्लांट नं. 600/ए एण्ड 601, उरला–इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2441)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 430076/2023, दिनांक 20/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला–रायपुर स्थित प्लांट नं. 600/ए एण्ड 601, कुल क्षेत्रफल–0.51 हेक्टेयर में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता – 28,500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 1.95 करोड़ रूपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 475वीं बैठक दिनांक 14/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अजय कुमार खण्डेलवाल, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जल एवं वायु सम्मति –

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा एम.एस. रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस. राउंड, स्क्वायर, एंगल, चैनल आदि) क्षमता– 28,500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 16/10/2020 को जारी की गई, जिसकी वैधता दिनांक 31/08/2030 तक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. लीज का विवरण – छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 26/05/2007 के द्वारा मेसर्स आदित्य स्टील्स को जारी किया गया है। डीड अनुसार ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र उरला, प्लॉट नंबर 600/ए एवं 601, क्षेत्रफल 0.50 हेक्टेयर (1.16 एकड़) भूमि में उद्योग स्थापना आदि कार्य हेतु आबंटन किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 02/02/2007 से दिनांक 11/02/2087 तक है। साथ ही पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेज एवं ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत विवरण में भिन्नता के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्ट जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

3. समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–उरला 4.1 कि.मी., निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 5.2 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 23 कि.मी. की दूरी पर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in Ha.)	Area (%)
1.	Building Sheds	0.1800	35.29
2.	Road/ Paved Area	0.0540	10.59
3.	Green belt Area	0.1683	33.00
4.	Open land Area	0.1077	21.12
Total		0.5100	100

5. रॉ–मटेरियल :–

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets	29,800	Open Market	By Road

6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Existing Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products : 28,500 MTPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेस रोलिंग मिल स्थापित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्थापित रि–हिटिंग फर्नेस रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का बैग फिल्टर लगाया गया है एवं 36 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना बताया गया है। फ्यूजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–400 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–900 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। साथ ही ऐश 1,080 टन प्रतिवर्ष जनित होता है, जिसे ईट निर्माण ईकाइयों को विक्रय किया जाता है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 8.8 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 2.8 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी द्वारा 8.8 घनमीटर प्रतिदिन हेतु दिनांक 27/08/2022 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग/ आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाती है।

- रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 600 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.वी.ए. के डी.जी. सेट ऊंचाई (5 मीटर) की चिमनी के साथ स्थापित किया गया है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – उद्योग का क्षेत्रफल कम होने के कारण हरित पट्टिका के विकास हेतु 0.168 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 420 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल न्यूनतम 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उद्योग परिसर के 5 कि.मी. की परिधि के भीतर सहमति प्राप्त भूमि में शेष 7 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 26/05/2007 के द्वारा जारी लीज डीड एवं ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत भूमि संबंधी विवरण में भिन्नता के संबंध में स्पष्ट जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स मुरली रोलिंग मिल प्राईवेट लिमिटेड, इण्डस्ट्रीयल एरिया उरला, प्लॉट नं. 8 बी, ग्राम–सरोरा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2438)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/430021/ 2023, दिनांक 20/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत्, इण्डस्ट्रीयल एरिया उरला, ग्राम–सरोरा, जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नं. 8 बी, कुल क्षेत्रफल–0.2787 हेक्टेयर में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स, क्षमता–27,300 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं नेल्स ऑफ आयरन/स्टील क्षमता–1,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 1.59 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 475वीं बैठक दिनांक 14/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमाकांत पंडित, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा परती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जल एवं वायु सम्मति –

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायपुर से रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एंगल, चैनल, बार, रौड्स, राउंड, एम.एस. प्लेट्स एवं शीट्स) क्षमता–27,300 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तथा नेल्स (खीला) ऑफ आयरन / स्टील क्षमता–1,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 06 / 06 / 2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 31 / 05 / 2029 तक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–उरला 3.7 कि.मी. दूर है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 5.4 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 21 कि. मी. की दूर है। खारून नदी 7.5 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. भू–स्वामित्व – औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड द्वारा दिनांक 12 / 08 / 1993 को जारी लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि उक्त लीज डीड की वैधता के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in Ha.)	Area (%)
1.	Building Sheds	0.097	34.8
2.	Road / Paved Area	0.017	6.1
3.	Green belt Area	0.092	33.01
4.	Open land Area	0.0727	26.09
Total		**0.2787**	**100**

5. रॉ–मटेरियल :–

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets / Ingots / Missrol	28,500	Open Market	By Road

6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Existing Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products : 27,300 MTPA Nails of Steel / Iron : 1, 000 MTPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेस रोलिंग मिल स्थापित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्थापित रि–हिटिंग फर्नेस रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का बैग फिल्टर लगाया गया है एवं 35 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सार्जन 50 मिलिग्राम / सामान्य घनमीटर रखा जाना बताया गया है। फ्यूजिटीव डस्ट उत्सार्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–400 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–800 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। साथ ही ऐश 1,240 टन प्रतिवर्ष जनित होता है, जिसे ईट निर्माण ईकाइयों को विक्रय किया जाता है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु प्रोस वॉटर कुल 5 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से जारी अद्यतन अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार रोगी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

- (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कूलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण / जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 550 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट ऊंचाई (5 मीटर) की चिमनी के साथ स्थापित किया गया है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – उद्योग का क्षेत्रफल कम होने के कारण हरित पट्टिका के विकास हेतु 0.92 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 230 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल न्यूनतम 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उद्योग परिसर के 5 कि.मी. की परिधि के भीतर सहमति प्राप्त भूमि में शेष 7 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक किया जाएगा।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए/ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

ii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

iii. Project proponent shall submit technical calculation of water demand.

iv. Project proponent shall submit information regarding the distance from the lease area to the nearest school, nearest hospital, National Highway and State Highway.

v. Project proponent shall submit details of validity of executed lease deed.

vi. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

vii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

viii. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.

ix. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

x. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.

xi. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

xii. Project Proponent shall submit detailed proposal for maintaining zero liquid discharge condition.

xiii. Project proponent shall submit the details of solid waste generation from the unit.

xiv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xvi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xvii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xviii. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xx. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xxi. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of minimum 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for minimum 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of minimum 40%.

xxii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xxiii. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xxiv. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स खैरखेड़ा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.–मोहम्मद हनिफ), ग्राम–खैरखेड़ा, तहसील–चारामा, जिला–कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2443)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430007/2023, दिनांक 20/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खैरखेड़ा, तहसील–चारामा, जिला–कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 422 एवं 430, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–6,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 14/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री निवासा मारुति स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–तेन्दुआ, हीरापुर रोड, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2439)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/430060/2023, दिनांक 20/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–तेन्दुआ, हीरापुर रोड, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 124/30, 124/60(पार्ट), 147/2 एवं 149/3, कुल क्षेत्रफल–1.926 हेक्टेयर में रि–रोल्ड

प्रोडक्ट्स (सी.टी.डी. बार्स, टॉर, स्टील बार्स, प्लेन, राउंड, एंगल, चैनल, स्क्वैर, फ्लैट्स, टी, एफ–4बी / मोलियम, जेड, चैनल गेट) क्षमता–30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 2.2 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06 / 07 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 475वीं बैठक दिनांक 14 / 07 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमाकांत पंडित, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायपुर से रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (सी.टी.डी. बार्स, टॉर, स्टील बार्स, प्लेन, राउंड, एंगल, चैनल, स्क्वैर, फ्लैट्स, टी, एफ–4बी / मोलियम, जेड, चैनल गेट) क्षमता–30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 10 / 08 / 2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 30 / 09 / 2029 तक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–सन्डोगरी 3.5 कि.मी. दूर है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 11 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 29 कि. मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 5592 / नग्रानि / पीएल–114 / 2006 रायपुर, दिनांक 05 / 08 / 2006 द्वारा खसरा क्रमांक 124 / 69 हेतु जारी विकास अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत कि गई है। समिति का मत है कि खसरा क्रमांक 124 / 30, 124 / 60(पार्ट), 147 / 2 एवं 149 / 3, कुल क्षेत्रफल–1.926 हेक्टेयर हेतु भूमि अकृषि में परिवर्तन बाबत् जारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **लीज का विवरण –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 124 / 60 हेतु क्रय–विक्रय संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि खसरा क्रमांक 124 / 30, 147 / 2 एवं 149 / 3 हेतु भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in Ha.)	Area (%)
1.	Building Sheds	0.621	32.24
2.	Road / Paved Area	0.200	10.38
3.	Green belt Area	0.635	33.00
4.	Open land Area	0.470	24.40
	Total	**1.926**	**100**

6. रॉ–मटेरियल –

S.No	Raw Material	Quantity (MTPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets	31,500	Open market	By Road

7. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 30,000 MTPA

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेस रोलिंग मिल स्थापित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्थापित रि–हिटिंग फर्नेस रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का बैग फिल्टर लगाया गया है एवं 35 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना बताया गया है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–600 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–900 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। साथ ही फिल्टर डस्ट 1,440 टन प्रतिवर्ष जनित होता है, जिसे ईंट निर्माण ईकाइयों को विक्रय किया जाता है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 8.5 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 2.5 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी द्वारा 8.5 घनमीटर प्रतिदिन हेतु दिनांक 25/07/2022 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग/ आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।
- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 950 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट ऊंचाई (5 मीटर) की चिमनी के साथ स्थापित किया गया है।
12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – उद्योग का क्षेत्रफल कम होने के कारण हरित पट्टिका के विकास हेतु 0.635 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,588 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल न्यूनतम 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उद्योग परिसर के 5 कि.मी. की परिधि के भीतर सहमति प्राप्त भूमि में शेष 7 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. खसरा क्रमांक 124/30, 124/60(पार्ट), 147/2 एवं 149/3, कुल क्षेत्रफल–1.926 हेक्टेयर हेतु भूमि अकृषि में परिवर्तन बाबत् जारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. खसरा क्रमांक 124/30, 147/2 एवं 149/3 हेतु भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. **मेसर्स मचोता लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री रामगोपाल नेताम), ग्राम–मचोता, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2442)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/429557/ 2023, दिनांक 20/05/2023 द्वारा पर्यावरणी स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मडोता, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक – 57, 58, 240 एवं 241, कुल क्षेत्रफल–1.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 6,840 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 475वीं बैठक दिनांक 14/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 14/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स श्री महावीर ऑयरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–मुनरेठी, पोस्ट–सिलतरा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2446)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/430133/ 2023, दिनांक 21/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–मुनरेठी, पोस्ट–सिलतरा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 273/2 एवं 273/32, कुल क्षेत्रफल–1.674 हेक्टेयर में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–18,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं जी.आई. वायर–9,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रूपए 3.27 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 475वीं बैठक दिनांक 14/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धरणीधर दूबे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायपुर से एम.एस.–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–18,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं जी.आई. वायर क्षमता–9,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 02/11/2018 को जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 30/09/2023 तक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- समीपस्थ आबादी ग्राम–सिलतरा 13 कि.मी., दूर है। निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 14 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 32 कि. मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. भू–स्वामित्व – भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (क्रय–विक्रय) प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार भूमि श्री महावीर ऑयरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

4. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – ग्राम पंचायत मुरेठी का दिनांक 28/08/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in Ha.)	Area (%)
1.	Building Sheds	0.6250	37.33
2.	Road / Paved Area	0.1500	8.96
3.	Green belt Area	0.5520	32.98
4.	Open land Area	0.3470	20.73
	Total	**1.6740**	**100**

6. रॉ–मटेरियल –

S.No	Raw Material	Quantity (MTPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets	19,500	Open market	By Road

7. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 18,000 MTPA G.I.wire – 9,000 MTPA

8. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेस रोलिंग मिल स्थापित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्थापित रि–हिटिंग फर्नेस रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का बैग फिल्टर लगाया गया है एवं 35 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का

उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना बताया गया है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–600 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–900 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल्स एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। साथ ही ऐश 850 टन प्रतिवर्ष जनित होता है, जिसे ईट निर्माण ईकाइयों को विक्रय किया जाता है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 8 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी द्वारा 8 घनमीटर प्रतिदिन हेतु दिनांक 29/12/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग/ ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 900 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.व्ही.ए. के 2 नग डी. जी. सेट ऊंचाई (5 मीटर) की चिमनी के साथ स्थापित किया गया है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – उद्योग का क्षेत्रफल कम होने के कारण हरित पट्टिका के विकास हेतु 0.552 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,380 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल न्यूनतम 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उद्योग परिसर के 5 कि.मी. की परिधि के भीतर सहमति प्राप्त भूमि में शेष 7 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण

करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक किया जाएगा।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

ii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

iii. Project proponent shall submit information regarding the distance from the lease area to the nearest school, nearest hospital, National Highway, State Highway and Kharun river.

iv. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.

vii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

viii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.

ix. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

x. Project Proponent shall submit detailed proposal for maintaining zero liquid discharge condition.

xi. Project proponent shall submit the details of solid waste generation from the unit.

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xvi. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xviii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xix. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of minimum 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for minimum 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of minimum 40%.

xx. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xxi. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xxii. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. **मेसर्स जय अम्बे इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, उरला, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2447)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/430154/ 2023, दिनांक 21/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–सरोरा, उरला, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 117/1, 117/2, 117/4 एवं 117/5, कुल क्षेत्रफल–0.536 हेक्टेयर में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 4.37 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 475वीं बैठक दिनांक 14/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धरणीधर दूबे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायपुर से रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 08/05/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 31/05/2029 तक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–उरला 3.7 कि.मी.दूर है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 7.6 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 22 कि. मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – प्रस्तुत भूमि संबंध दस्तावेजों में खसरा क्रमांक 117/1, 117/2, 117/4 एवं 117/5 का कुल क्षेत्रफल 0.536 हेक्टेयर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल क्षेत्रफल 0.536 हेक्टेयर हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेज एवं ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत

विवरण में भिन्नता के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्ट जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in Ha.)	Area (%)
1.	Building Sheds	1,410	26.31
2.	Road / Paved Area	645	12.03
3.	Green belt Area	1,700	31.72
4.	Open land Area	1,605	29.94
Total		**5,360**	**100**

5. रॉ–मटेरियल –

S.No	Raw Material	Quantity (MTPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets	31,000	Open market	By Road

6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 30,000 MTPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेस रोलिंग मिल स्थापित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्थापित रि–हिटिंग फर्नेस रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का बैग फिल्टर लगाया गया है एवं 35 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम / सामान्य घनमीटर रखा जाना बताया गया है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–300 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–700 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। साथ ही फिल्टर डस्ट 1,440 टन प्रतिवर्ष जनित होता है, जिसे ईट निर्माण ईकाइयों को विक्रय किया जाता है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 9 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2. 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 3.5 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से जारी अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुन:चक्रण एवं पुन:उपयोग किया जाना है।

(क) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग/ ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 900 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट ऊंचाई (5 मीटर) की चिमनी के साथ स्थापित किया गया है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – उद्योग का क्षेत्रफल कम होने के कारण हरित पट्टिका के विकास हेतु 0.170 हेक्टेयर (31.72 प्रतिशत) क्षेत्र में 440 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल न्यूनतम 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उद्योग परिसर के 5 कि.मी. की परिधि के भीतर सहमति प्राप्त भूमि में शेष 7 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 26/05/2007 के द्वारा जारी लीज डीड एवं ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत भूमि संबंधी विवरण में भिन्नता के संबंध में स्पष्ट जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स नव दुर्गा इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, सेक्टर–सी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1878)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी/246050/2021, दिनांक 20/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् सेक्टर–सी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 435ए, 423ए, 429, 430, 431 एवं 432, कुल क्षेत्रफल – 1.15 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् 2 गुणा 10 टीपीएच (1 नग स्थापित एवं 1 नग प्रस्तावित) इण्डक्शन फर्नेस (इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,900 टन प्रतिवर्ष एवं री–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल (री–रोल्ड प्रोडक्ट्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,900 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 9.5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश पाण्डे, डीयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा री–रोल्ड प्रोडक्ट्स आँयरन/स्टील क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष एवं स्टील इंगाट्स क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 04/11/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 30/11/2024 तक की अवधि हेतु है।

   - वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी बिरगांव 1 कि.मी. एवं शहर रायपुर 5 कि.मी. तथा रेलवे स्टेशन उरकुरा 3.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, मना, रायपुर 18.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। खारून नदी 6.4 कि.मी. दूर है।

- पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट – क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लेण्ड एरिया स्टेटमेंट निम्नानुसार है:–

Particular	Area (in Sq.m.)	Area (%)
Induction Furnace Area	1,200	10.42
Rolling Mill Area	2,550	22.14
Finished Good Area	700	6.08
Raw material Yard	900	7.81
Parking Area	750	6.51
Road Area	800	6.94
Green Belt Area	4,620	40.10
Total	**11,520**	**100**

4. रॉ–मटेरियल –

For Induction Furanace			
Raw Material	**Existing Quantity (TPA)**	**After Expansion Quantity (TPA)**	**Mode of Transport**
Sponge Iron	24,425	48,500	By Road through covered trucks
Scrap	7,617	15,000	
Ferro Alloys	320	660	
For Rolling Mill			
Billets	30,000	59,900	In house

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Particular	Existing	After Expansion
Unit	Induction Furnace (1x10 TPH) Reheating Furnace (1x10TPH)	Induction Furnace (2x10 TPH) Reheating Furnace (1x10 TPH)
Working Hour	Induction Furnace 24 Hrs Reheating Furnace 10 Hrs	Induction Furnace 24 Hrs Reheating Furnace 24 Hrs
Production	Billet 30,000 TPA Rerolled Product 30,000 TPA	Billets 59,900 TPA Rerolled Product 59,900 TPA
Coal Requirement	3,000 TPA	5,672 TPA
Note: Existing reheating furnace based rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing number of working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 24 Hrs per day.		

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – वर्तमान में रि–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल एवं इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल एवं इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पीटीएफई बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी की ऊंचाई यथावत् रहेगी। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर

रखा जाना प्रस्तावित है। फ्यूजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में री–रोल्ड प्रोडक्ट्स ऑयरन/स्टील के उत्पादन हेतु 9.1 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–रोल्ड के उत्पादन हेतु 17.19 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी। वर्तमान में रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से एस.ओ$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 23,100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से एस.ओ$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 9,240 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष एस.ओ$_2$ उत्सर्जन में कमी होगी। इस व्यवस्था से एस.ओ$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 13,860 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से स्लेग–1,148 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल–153 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग–102 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड आयल–90 लीटर प्रतिवर्ष, किचन वेस्ट 8 कि.ग्रा. प्रतिदिन एवं ऐश–1 टन प्रतिदिन अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस एवं री–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल से स्लेग– 2,250 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल– 300 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग–500 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड आयल – 180 लीटर प्रतिवर्ष एवं ऐश–2 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगी। स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग इकाई को विक्रय किया जाएगा। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को पुनः प्रोसेसिंग में उपयोग किया जाएगा। यूस्ड ऑयल को अधिकृत वेन्डर को विक्रय किया जाएगा। ऐश को समीपस्थ ईंट निर्माण इकाईयों को विक्रय किया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

   - **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 21 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 32 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन तथा घरेलू हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. से किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

   - **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, सी–सीवेज कलेक्शन टैंक, एमबीबीआर टैंक, ब्लोअर पम्पस, फिल्टर प्रेस, इंटरमेडियेट टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर,

एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 7,907 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अतिरिक्त 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 30,287.4 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित पीटीएफई बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 24,789.6 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित किया जाएगा, जिससे $एस.ओ_2$ उत्सर्जन की मात्रा 23,100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष से कम कर 13,860 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगा। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) $एस.ओ_2$ उत्सर्जन की मात्रा में कमी, (3) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग / विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (4) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का भू–गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

10. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना की गई है, जो कि उपयुक्त नहीं

है। जबकि इण्डक्शन फर्नेस में वृद्धि होने के कारण आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) में वृद्धि होना संभावित है। अतः समिति का मत है कि उपरोक्त हेतु पुनः प्रदूषण भार की स्पष्ट गणना परियोजना प्रस्तावक से मंगाया जाना आवश्यक है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 8.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किये जाने के संबंध जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिटका के विकास हेतु 536 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.46 हेक्टेयर (लगभग 40.1 प्रतिशत) क्षेत्र में 614 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के भीतर 40.1 प्रतिशत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना बताया गया, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय किया जाए। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जल की आपूर्ति सीएसआईडीसी से किये जाने हेतु अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना की गई है, जो कि उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। जबकि इण्डक्शन फर्नेस में वृद्धि होने के कारण आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) में वृद्धि होना संभावित है। अतः उपरोक्त हेतु पुनः प्रदूषण भार की स्पष्ट गणना कर प्रस्तुत करते हुए एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. कोल गैसीफायर से उत्पन्न फिनॉलिक वेस्ट वॉटर के उपचार / निपटान परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 (यथा संशोधित) एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोल गैसीफायर से उत्पन्न फिनॉलिक वेस्ट वॉटर हेतु माह जनवरी 2017 को जारी एसओपी (Standard Operating Procedure) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. कुल क्षेत्रफल का 40.1 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय किया जाए। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06 / 06 / 2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 23 / 06 / 2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25 / 07 / 2022:

समिति द्वारा नवसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। जबकि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सत्यापित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. कार्यपालन अभियंता (संभाग–02), छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 06 / 01 / 2020 द्वारा जल प्रदाय करने बाबत् पत्र जारी किया गया है।

3. प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया कि स्थापित चिमनी का में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित स्क्रबर के स्थान पर बेग फिल्टर लगाया जाएगा। अतः प्रदूषण भार की गणना हेतु आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रहेगी। साथ ही चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम / सामान्य

घनमीटर से 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने हेतु उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

4. वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 22,334.4 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित पीटीएफई बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 13,384.8 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी।

5. आवेदित प्रकरण में कोल गैसीफिकेशन प्रोसेस के तहत् उद्योग का संचालन किया जाएगा। गैस तापमान 475°C से अधिक रखा जाएगा। पाईप लाईन में एवं गैसीफायर में किसी भी प्रकार का टार फार्मेशन नहीं होगा। इस प्रोसेस में कोल में फिक्स कॉर्बन एवं वोलेटाईल मेटर उपस्थित रहेंगे। गैस हाई कलोरिफिक वैल्यु में रहेगा। अतः फिनॉलिक वॉटर उत्पन्न नहीं होगा। समिति का मत है कि यदि किसी कारणों (गैस तापमान में कमी होने, आकासमिक शट डाउन की स्थिति में, विद्युत अवरोध की स्थिति में इत्यादि) से फिनॉलिक वॉटर उत्पन्न होगा, के संबंध में फिनॉलिक वॉटर के उपचार / निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

6. वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु 536 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.46 हेक्टेयर (लगभग 40.1 प्रतिशत) क्षेत्र में 614 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 1,150 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 614 नग पौधों के लिए राशि 1,22,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,84,200 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 10,74,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 13,81,500 रूपये 5 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग (9.5 करोड़) का 2 प्रतिशत 19 लाख रूपये का व्यय उद्योग के आस-पास ईको पार्क निर्माण में किया जाना बताया गया है। परंतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 5 एवं 8 के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/क्षेत्र से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सत्यापित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. कोल बेस्ड गैसीफायर प्रोसेस का पूर्ण फ्लो चार्ट (with drawing and design) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित गैसीफायर में हॉट गैस फायरिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा एवं गैसीफायर से उत्पन्न गैस का कण्डनसेशन नहीं किया जाएगा, जिससे कोई फिनॉलिक वॉटर उत्पन्न नहीं होगा। यदि किसी कारण से फिनॉलिक वॉटर उत्पन्न होगी तो उसे गैसीफायर में पुनः इन्सर्ट (re-insert) किया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
950	2%	19	Following activities at nearby, Village-Sarora	
			Eco Park Nirman	19.04
			Total	19.04

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत् (आंवला, बड, पीपल, नीम, आम, जामुन, अमलतास आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 2,000 नग पौधों के लिए राशि 80,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,52,500 रूपये, खाद के लिए राशि 12,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 3,30,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,74,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 13,38,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-सरोरा, तहसील धरसींवा,

जिला–रायपुर के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 409/2, क्षेत्रफल 0.363 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 395, क्षेत्रफल 0.51 हेक्टेयर, भू–स्वामी श्री मुकेश पाण्डेय) को 25 वर्षों हेतु लीज में लिए जाने एवं उक्त भूमि पर सी.ई.आर. के अंतर्गत ईको पार्क निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपन की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नही है।

समिति द्वारा सर्वसम्मत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत जाए।

2. के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/12/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 10/01/2023 द्वारा जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 40.01 प्रतिशत क्षेत्र में कुल 614 नग पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,35,080 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,84,200 रूपये, खाद के लिए राशि 18,420 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,47,800 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 5,85,500 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 7,96,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. समिति द्वारा यह पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022

के अनुसार "स्टैंड अलोन री–रोलिंग इकाईयां या कोल्ड रोलिंग इकाईयां, जिसकी क्षमता 5,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक हो।" को टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया जाना आवश्यक है। अतः समिति का मत है कि केवल क्षमता विस्तार के तहत् 2 गुणा 10 टीपीएच (1 नग स्थापित एवं 1 नग प्रस्तावित) इण्डक्शन फर्नेस (इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,900 टन प्रतिवर्ष हेतु ही विचार किया जाना संभव है। रोलिंग मिल इकाई हेतु पृथक से टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किये जाने के उपरांत ही कार्यवाही किया जाना संभव है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स नव दुर्गा इस्पात प्राईवेट लिमिटेड को प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् सेक्टर–सी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 436ए, 423ए, 429, 430, 431 एवं 432, कुल क्षेत्रफल – 1.15 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् 2 गुणा 10 टीपीएच (1 नग स्थापित एवं 1 नग प्रस्तावित) इण्डक्शन फर्नेस (इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,900 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 को संपन्न 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में ग्राम–सरोरा, तहसील धरसींवा, जिला–रायपुर के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 409/2, क्षेत्रफल 0.363 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 395, क्षेत्रफल 0.51 हेक्टेयर, भू–स्वामी श्री मुकेश पाण्डेय) को 25 वर्षों हेतु लीज में लिए जाने एवं उक्त भूमि पर सी.ई.आर. के अंतर्गत ईको पार्क निर्माण किया जाना बताया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण का मत है कि 25 वर्षों हेतु लीज भूमि में सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् प्रस्ताव यथोचित नहीं है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु अन्य स्थल पर कार्य हेतु पूर्ण प्रस्ताव अथवा अन्य यथोचित प्रस्तावमय जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(इ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि प्राधिकरण के मतानुसार 25 वर्षों हेतु लीज भूमि में सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् प्रस्ताव यथोचित नहीं है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु अन्य स्थल पर कार्य हेतु पूर्ण विस्तृत प्रस्ताव अथवा अन्य यथोचित प्रस्तावमय जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् किसी यथोचित शासकीय भूमि पर ईको पार्क निर्माण हेतु अन्य स्थल पर कार्य हेतु पूर्ण प्रस्ताव अथवा अन्य यथोचित विस्तृत प्रस्तावमय प्रस्तावित स्थल का नक्शा, खसरा, रकबा, अक्षांश देशांतर, स्थल का फोटोग्राफ्स तथा पंचायत की सहमति पत्र आदि जानकारी प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/06/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/06/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ई) समिति की 475वीं बैठक दिनांक 14/07/2023:

समिति द्वारा नवसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
950	2%	19	Following activities at nearby, **Village-Birgaon**	
			Plantation in Muktidham	21.73
			Total	**21.73**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम, बादाम, जामुन, आंवला, अमलतास आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,200 नग पौधों के लिए राशि 1,44,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 38,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 3,52,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 6,54,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 15,19,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव से सहमति प्राप्त कर ग्राम-बीरगांव, तहसील-धरसींवा, जिला-रायपुर के मुक्तिधाम (खसरा क्रमांक 84/23, क्षेत्रफल 0.526 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्त क्रमांक (ix) के (i) एवं (iii) के तहत् सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण हेतु व्यय किया जाएगा एवं प्रस्तावित नगर पालिक निगम बीरगांव को सूचित किया जाकर परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार कार्य पूर्णता उपरांत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए। तदाशय के अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों को संशोधित किया जाए तथा समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 में निहित की गई शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स जगदीश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–चरौदा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1922)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी / 253966 / 2022, दिनांक 29 / 01 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–चरौदा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 143 एवं 144, कुल क्षेत्रफल – 1.655 हेक्टेयर में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स थ्रू इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 29,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना की विनियोग रुपये 2.5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05 / 05 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 406वीं बैठक दिनांक 09 / 05 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **जल एवं वायु सम्मति** –

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायपुर से बिलेट, एम.एस. रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता – 29,500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 07 / 08 / 2020 को जारी की गई है।

   - पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

   - निकटतम शहर रायपुर 11 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन माढ़र 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, मना, रायपुर 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.4 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत चरौदा का दिनांक 31 / 05 / 2016 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **भू–स्वामित्व** – मेसर्स जगदीश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड द्वारा श्री ईसूब खा से खसरा क्रमांक 143 एवं 144 कुल रकबा 1.655 हेक्टेयर भूमि को क्रय किया गया है। क्रय संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Furnace Area	3,525.15	21.3
2.	Rolling Mill Area	1,324	8.0
3.	Finished Good Area	695.1	4.2
4.	Raw Material Yard Area	761.3	4.6
5.	Parking Area	614.05	3.71
6.	Road Area	761.3	4.6
7.	Greenbelt Area	6,621.65	40.01
8.	Area for Future Expansion	2,247.45	13.58
	Total	**16,550**	**100**

6. रॉ–मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
For Induction Furnace				
1.	Sponge Iron	48,500	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	15,000		
3.	Alloys	660		
For Rolling Mill (Re-rolled Products)				
1.	Billets	59,500	In house	-

7. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Existing Capacity	Capacity After Expansion
1.	Unit	Induction Furnace and Rolling Mill (CCM) - 2 x 6 TPH	Induction Furnace and Rolling Mill (CCM) - 2 x 6 TPH + 1 x 6 TPH
2.	Production	29,500 TPA	59,500 TPA
3.	Working Hours	12	18

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 2,450 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से यूज्ड ऑयल 180 लीटर प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग क्रशिंग इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। यूज्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर्स इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 21 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, कुलिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीनबेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 32 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, कुलिंग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीनबेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जो दिनांक 02/01/2024 तक वैध है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सोकपिट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 9,746 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य

घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 9,576 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 8,532 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 2,630 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 8.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 250 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित है एवं इसके अतिरिक्त प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 125 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु क्षेत्रफल 0.475 हेक्टेयर (28.72 प्रतिशत) क्षेत्र में 790 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् क्षेत्रफल 0.662 हेक्टेयर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र में अतिरिक्त 865 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 3 माह में पूर्ण किया जाएगा।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
250	1%	2.5	Following activities at, Government Girls High School Village- Charoda	
			Rain water harvesting	1.215
			Water Supply arrangement with 3 year AMC	0.65
			Water tank & pipe line Facility for Toilets	0.45
			Plantation	0.45
			Total	**2.765**

15. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत जाए।

2. ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि एवं जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होने के कारण प्रदूषण भार में वृद्धि होना संभावित है। अतः उक्त के संबंध में स्थापित एवं प्रस्तावित परियोजना हेतु तुलनात्मक प्रदूषण भार की गणना कर प्रस्तुत की जाए।

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्रमाणित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. वर्तमान में ठोस अपशिष्ट के रूप में स्लेग– 1,200 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल–150 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–800 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष जनित होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत ठोस अपशिष्ट के रूप में स्लेग– 1,200 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल–150 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–800 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष जनित होना प्रस्तावित है। वर्तमान में स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग इकाई को प्रदाय किया जाता है। मिल स्केलएवं एण्ड कटिंग को पुनः प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी।

3. प्रस्तावित कार्यकलाप से जल उपभोग की मात्रा में 11 किलोलीटर प्रतिदिन वृद्धि होगी। उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल को कुलिंग हेतु उपयोग किया जाना एवं

घरेलू दूषित जल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचार उपरांत वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार 50 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, ट्री गार्ड के लिए राशि 15,000 रूपये, खाद के लिए राशि 375 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 33,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 50,375 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,28,475 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 10/01/2023 द्वारा जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें सम्मति शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना उल्लेखित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स जगदीश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–धरौदा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 143 एवं 144, कुल क्षेत्रफल – 1.655 हेक्टेयर में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स थ्रू इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 29,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 को संपन्न 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण का मत है कि परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(द) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की

कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/06/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(इ) समिति की 475वीं बैठक दिनांक 14/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
250	2%	5.0	Following activities at, Government Girls High School **Village- Charoda**	
			Plantation	7.49
			Total	**7.49**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत चारागाह के समीप नया तालाब पर वृक्षारोपण (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम, बादाम, जामुन, आंवला, अमलतास आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 35,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 65,000 रूपये, खाद के लिए राशि 15,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 60,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 68,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,43,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 5,06,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत चरौदा से सहमति प्राप्त कर ग्राम–चरौदा, सिलतरा, जिला–रायपुर के चारागाह के समीप नया तालाब (खसरा क्रमांक 190/1 का भाग, क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्त क्रमांक ix के (i) एवं (iii) के तहत् सी.ई.आर. के अंतर्गत चारागाह के समीप नया तालाब पर वृक्षारोपण हेतु व्यय किया जाएगा एवं प्रस्तावित ग्राम पंचायत चरौदा को सूचित किया जाकर परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार कार्य पूर्णता उपरांत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए। तदाशय के अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों को

संशोधित किया जाए तथा समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 में निहित की गई शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स छत्तीसगढ़ फेरो ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गोंदवारा, इण्डस्ट्रीयल एरिया उरला, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2212)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 407019/ 2022, दिनांक 30/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 13/12/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/12/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–गोंदवारा, इण्डस्ट्रीयल एरिया उरला, जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नं. 4 एवं 5, कुल क्षेत्रफल–4.09 एकड़ में रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (हॉट चार्ज) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,800 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग का कुल लागत 3 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनीष घुप्पड़, डीयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**
   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायपुर से रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 28/09/2022 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 30/06/2024 तक वैध है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
   - समीपस्थ आबादी ग्राम–गोंदवारा 900 मीटर एवं शहर रायपुर 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन मांढर 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, मना, रायपुर 17.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 250 मीटर दूर है। खारून नदी 7.5 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. भू–स्वामित्व – भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, जिसके अनुसार लीज मेसर्स छत्तीसगढ़ फेरो ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है। उक्त भूमि सीएसआईडीसी से लीज में प्राप्त की गई है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S. No.	Particular	Existing Area (m^2)	Proposed Area (m^2)	Total Area (m^2)	Area (%)
1.	Introduction Furnace Area	1,400	836	2,236	13.509
2.	Rolling Mill Area	1,990	-	1,990	12.023
3.	Finished Good Area	610	300	910	5.498
4.	Raw Material Yard	650	343.75	993.75	6.004
5.	Parking Area	500	160	660	3.987
6.	Road Area	728.24	-	728.24	4.399
7.	Greenbelt Area	4,965.3	1,658.41	6,623.71	40.019
8.	Open Area	5,707.46	-	2,409.30	14.556
Total		**16,551.00**	**3,298.16**	**16,551.00**	**100**

5. रॉ–मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Sources	Mode Of Transport
For Induction Furnace				
A	Sponge Iron	48,500	Open market	By road
B	Scrap	15,000		
C	Alloys	660		
For Rolling Mill				
A	Billets	59,500	Own generation	In House

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Existing Capacity	Capacity After Expansion
4.	Unit	8 x 2 TPH	8 x 2 TPH + 10 x 1 TPH
5.	Production	Rerolled products through Induction Furnace with CCM (Hot Charge) - 30,000 TPA	Rerolled products through Induction Furnace with CCM (Hot Charge) - 59,500 TPA
6.	Working Hours	12	15

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पी.टी.एफ.ई. बेग फिल्टर एवं 35 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य

धनमीटर से कम कर 28 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाएगा। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

S. No.	Particular	Existing Quantity	Proposed Quantity	Total Quantity	Management
1.	Slag	1,200 TPA	1,250 TPA	2,450 TPA	Sold to Slag processing unit
2.	Mill Scale	300 TPA	300 TPA	600 TPA	Reuse in process
3.	STP Sludge	-	7.5 TPA	7.5 TPA	Will be used as manure for Plantation
4.	Used Oil	100 Litre/Year	80 Litre/Year	180 Litre/Year	Sold to Authorized Vendors
5.	Kitchen Waste	4.5 Kg/day	5.5 Kg/day	10 Kg / day	Bio Composting

9. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 9 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, कुलिंग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीनबेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 31 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 7 घनमीटर प्रतिदिन, कुलिंग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीनबेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सोकपिट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 6 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है उपचारित जल को हरित पट्टिका के विकास में उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 9,255 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 2.6 मीटर, चौड़ाई 2.6 मीटर, गहराई 2.6 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 2.6 मीटर, चौड़ाई 2.6 मीटर, गहराई 2.6 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है, इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 9,536.4 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित पीटीएफई बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 28 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 8,550 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपबोधानुसार किया जाएगा। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 8.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 4590 वर्गमीटर क्षेत्र में 1,020 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत 8,560 वर्गमीटर (40.1 प्रतिशत) क्षेत्र में 835 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 835 नग पौधों के लिए राशि 76,200 रूपये, खाद के लिए राशि 19,050 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,36,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,31,250 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 4,82,400 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण किया जाना बताया गया है।

समिति का मत है कि उद्योग परिसर के चारों तरफ कम से कम 20 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किया जाए तथा वृक्षारोपण को ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत करते हुये

वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
300	1%	3	Following activities at, Village-Gondwara	
			Plantation around Pond	6.82
			Total	**6.82**

14. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 250 नग पौधों के लिए राशि 30,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,25,000 रूपये, खाद के लिए राशि 7,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,21,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,83,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,99,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नगर पालिक निगम रायपुर के सहमति उपरांत तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नगर पालिक निगम रायपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की स्थापना (चिमनी की ऊंचाई सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. वर्तमान स्थिति में उद्योग परिसर मे रोपित किये गये पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तावित परियोजना उपरांत उद्योग परिसर के चारों तरफ कम से कम 20 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किया जाए तथा वृक्षारोपण को ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग,

खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण हेतु नगर पालिक निगम रायपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नही है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/06/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 475वीं बैठक दिनांक 14/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. वर्तमान में उद्योग में डी.जी. सेट स्थापित नहीं है। क्षमता विस्तार के पश्चात् 1 नग डी.जी. सेट 250 के.वी.ए. क्षमता का स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की स्थापना के लिए चिमनी की ऊंचाई 12 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है।
2. वर्तमान स्थिति में उद्योग परिसर में रोपित किये गये पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार पौधों की कुल संख्या 1,020 नग एवं पौधों की प्रजाति – आम, अशोक, बादाम, नीम एवं अमरूद है।

   उपरोक्त के अतिरिक्त क्षमता विस्तार के तहत् उद्योग परिसर के भीतर 925 नग पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिससे इकाई के कुल क्षेत्रफल (16,561 वर्ग मीटर) में वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (7,778.97 वर्गमीटर) 47 प्रतिशत हो जायेगा। इकाई में कार्यरत् श्रमिक एवं कर्मचारी की सुरक्षा प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल (7,778.97 वर्गमीटर) 47 प्रतिशत से अधिक करना संभव नहीं है। अतः लेण्ड एरिया स्टेटमेंट निम्नानुसार है:-

S. No.	Particular	Existing Area (m^2)	Proposed Area (m^2)	Total Area (m^2)	Area (%)
1.	Introduction Furnace Area	1,400	836	2,236	13.509
2.	Rolling Mill Area	1,990	-	1,990	12.023

3.	Finished Good Area	610	300	910	5.498
4.	Raw Material Yard	650	343.75	993.75	6.004
5.	Parking Area	500	160	660	3.987
6.	Road Area	728.24	-	728.24	4.399
7.	Greenbelt Area	4,965.3	1,658.41	7,778.97	47.00
8.	Open Area	5,707.46	-	1,254.04	7.580
Total		**16,551.00**	**3,298.16**	**16,551.00**	**100**

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण हेतु नगर पालिक निगम रायपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 456 एवं क्षेत्रफल 0.408 हेक्टेयर) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

5. प्रक्रिया के दौरान जो ठोस अपशिष्ट (मिल स्केल एवं कटिंग) उत्पन्न होगा उसे स्वयं की इकाई के द्वारा प्रक्रिया में पुनः प्रयोग में लिये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. उद्योग परिसर के भीतर वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स छत्तीसगढ़ फेरो ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड को प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–गोंदवारा, इण्डस्ट्रीयल एरिया उरला, जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नं. 4 एवं 5, कुल क्षेत्रफल–4.09 एकड़ में रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (हॉट चार्ज) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री सांई सहारा ट्रेडर्स (पार्टनर – श्री विजय कुमार शर्मा, धौरामाठा लो–ग्रेड लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–धौरामाठा, तहसील–भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2067)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/ 276638/2022, दिनांक 04/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20/06/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03/07/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धौराभाठा, तहसील–भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 39, 52/2, 53, 61/1 एवं 63/2, कुल क्षेत्रफल–2.312 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–33,982.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय कुमार शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नकली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में आवेदन के साथ प्रस्तुत माईनिंग प्लान के अनुमोदन पत्र, लीज डीड, कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्रों तथा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में खसरा क्रमांक 39, 52/2, 53, 61/1 एवं 63/2 का उल्लेख होना पाया गया है। परन्तु माईनिंग प्लान, ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, भू–स्वामित्व दस्तावेज एवं पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में खसरा क्रमांक 39, 52/2, 53, 63/1 एवं 63/2 का उल्लेख है। अतः समिति का मत है कि उपरोक्त खसरा संबंधी विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 39, 52/2, 53, 63/1 एवं 63/2, कुल क्षेत्रफल–2.312 हेक्टेयर, क्षमता–16,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 23/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार 300 नग वृक्षारोपण किया गया है।
   iv. समिति का मत है कि विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धौराभाठा का दिनांक 18/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (छ.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 1142/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.08/2021(3) नवा रायपुर, दिनांक 14/03/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/1891/ख.लि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 23/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/1891/ख.लि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 23/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

7. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्री मुकेश कुमार के नाम पर थी। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/01/2020 से 19/01/2050 तक की अवधि हेतु वैध है। लीज का हस्तांतरण दिनांक 09/12/2020 को श्री साईं सहारा ट्रेडर्स (पार्टनर–श्री विजय कुमार शर्मा एवं श्री विमल अग्रवाल) के नाम पर किया गया है।

8. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 39, 52/2, 53, 63/1 एवं 63/2 श्री हेतराम के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/ खनिज/2022/1348 बलौदाबाजार, दिनांक 18/05/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोसमाण्डा 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–धौराभाठा 2.3 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–धौराभाठा 2.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9 कि.मी. दूर है। महानदी 40 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,25,450 टन, माईनेबल रिजर्व 4,30,435 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,08,913 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,183 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता

है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	30,000
द्वितीय	30,000
तृतीय	31,121.25
चतुर्थ	30,000
पंचम	33,982.5

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 650 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 32,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,85,150 रूपये, खाद के लिए राशि 15,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 1,80,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,12,650 रूपये आगामी 5 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. खसरा संबंधी विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. सी.ई.आर. का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/12/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 463वीं बैठक दिनांक 10/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा संबंधी विसंगतियों के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 514/बी 3-3/न.क./2016 बलौदाबाजार, दिनांक 16/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार "उक्त उत्खनिपट्टा अंतरण आदेश के अनुक्रम में लिपिकीय त्रुटिवश पूरक अनुबंध पत्र के अनुसूची में खसरा नम्बर 63/1 के स्थान पर 61/1 का उल्लेख होकर अंतरण अनुबंध का भी निष्पादन हो गया है। तथापि उप-पंजीयक के द्वारा किये गये निष्पादन में जारी पावती में खसरा नम्बर 61/1 का उल्लेख न होकर सुधार के साथ खसरा नम्बर 63/1 उल्लेखित है। अतः उक्त लिपिकीय त्रुटि को संशोधित करते हुये उत्खनिपट्टा अंतरण आदेश में उल्लेखित खसरा नम्बर 61/1 के स्थान पर 63/1 लिखा, समझा व पढ़ा जावें।" का उल्लेख है।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अधिकांश शर्तों (शर्त क्रमांक 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 एवं 50) का अपूर्ण पालन होना बताया गया है। समिति का मत है कि अपूर्ण पालन शर्तों के पालनार्थ एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 829/तीन–6/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 07/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2019–20	निरंक
2020–21	14,750
2021–22	16,700
01 अप्रैल 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक	6,000

समिति का मत है कि दिनांक 01/10/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
58	2%	1.12	Following activities at nearby, Govt. Middle School Village-Lebal	
			Potable drinking water facility with 5 year AMC	0.50
			Plantation with fencing	0.69
			Total	**1.19**

सी.ई.आर. के तहत् (नीम, आम, जामुन, पीपल, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 17,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 50,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

5. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर द्वारा प्रेषित पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन में अपूर्ण पालन शर्तों (शर्त क्रमांक 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 एवं 50) के पालनार्थ एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत किया जाए।

2. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 463वीं बैठक दिनांक 10/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/06/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 475वीं बैठक दिनांक 14/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर द्वारा प्रेषित पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन में अपूर्ण पालन शर्तों (शर्त क्रमांक 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 एवं 50) के पालनार्थ एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये है:–

   i. स्वीकृत क्षेत्र एवं रोड किनारे में 600 नग पौधारोपण किया गया था, जिसमें से 500 नग से अधिक वृक्ष जीवित हैं एवं इस मानसून में 300 नग पौधा लगाया जायेगा।

   ii. स्वीकृत क्षेत्र के आस–पास अन्य उत्खनन पट्टा स्वीकृत नहीं हैं और न ही कोई आदेश दिया गया। अतः लागू नहीं होता है।

   iii. प्रस्तावित एक्शन प्लान के अनुसार Socio Economic Development अनुसार उपयोग सामाजिक गतिविधियों में व्यय किये जाने हेतु (CER के गतिविधि हेतु) 50/– रूपये के पेपर पर नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत है।

   iv. लीज क्षेत्र से ग्राम काफी दूर है तथा खदान से निकलने वाले पानी ग्रामीण अपने खेतों में सिंचाई हेतु उपयोग करते हैं। किसी प्रकार का दूषित जल खदान से उत्सर्जन / निकासी नहीं होता।

   v. नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जाता रहा है। गौण खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जा रहा है। पहुँच मार्ग / रैंप संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कन्टेनमेंट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जा रहा हैं।

   vi. खनन संक्रियाएं अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया गया। वाहनों एवं परिवेशीय वायु की गुणवत्ता मानकों के अनुसार रखने का प्रयास किया गया। MoEF मानकों के अनुसार रखा गया हैं।

   vii. 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में निर्देशानुसार नए वृक्षारोपण किया गया। किसी प्रकार का वेस्ट डंप का भण्डारण नहीं किया गया हैं।

   viii. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिजों को खनन के पश्चात बने गड्ढो / पहुंच मार्ग के पुनर्भरण में समय–समय पर उपयोग किया जा रहा है।

   ix. खनन से उत्पन्न सिल्ट अथवा पत्थर के ही टुकड़ों को रोड मेंटेनेंस में उपयोग किया जाता है एवं सतही जल स्रोतों को प्रभावित नहीं करता रेटेनिंग वॉल / गारलैंड ड्रेन का निर्माण आवश्यकतानुसार किया जा रहा हैं।

x. फलदार वृक्ष एवं अन्य वृक्ष खदान के चारों ओर एवं रास्ते के दोनों किनारे लगभग 300 नग वृक्ष लगाया गया है।

xi. खदानों में उपयोग मशीनो द्वारा होने वाले न ध्वनि प्रदूषण को दिन और रात्रि में मानक स्तर 75 DB (A) क्रम एवं 70 DB (A) के मध्य रखने का प्रयास किया गया।

xii. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने पर पंद्रह दिनों के अंदर इस आशय की सूचना का प्रसारण दो स्थानीय समाचार पत्रों में किया जायेगा। वेबसाइट में अपलोड किया जायेगा।

xiii. प्रत्येक 6 माह में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

xiv. प्री मानसून–पोस्ट मानसून दोनों समय ही भू जल स्तर (ग्राउंड वाटर लेवल) 40 मीटर से अधिक रहता है। रिपोर्ट प्रस्तुत किया जायेगा ।

xv. स्वीकृत क्षेत्र के आस–पास अन्य उत्खनन पट्टा स्वीकृत नहीं हैं और न ही कोई आदेश दिया गया। अतः लागू नहीं होता।

xvi. क्रेशर प्लांट में भी पौधारोपण किया गया हैं।

xvii. CSR के गतिविधियों में किये गये क्रियांवयन का छःमाही रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

xviii. क्षेत्र के आस–पास वृक्षारोपण किया गया हैं एवं किया भी जा रहा हैं। अतः वन विभाग में राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं हैं।

xix. स्वीकृत क्षेत्र से मुख्य मार्ग तक पक्की / कच्ची निर्मित सड़क का मरम्मत कार्य एवं पानी का छिड़काव आवश्यकतानुसार किया जाता रहता हैं।

xx. खदान में बेन्चिंग के साथ–साथ तार का फेंसिंग भी किया गया हैं।

उपरोक्त समस्त शर्तो का पालन कर 6 माह के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

2. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 12,337 घनमीटर है, जिसमें से 6,205 घनमीटर मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में रखा जायेगा एवं शेष 6,032 घनमीटर मिट्टी को स्वयं की निजी भूमि खसरा क्रमांक 63/3, रकबा 1.1 एकड़ में रखा जायेगा, जिसका न तो दुरूपयोग किया जाएगा, न विक्रय किया जायेगा और न ही अन्य कार्य में उपयोग किया जायेगा। केवल इस मिट्टी का उपयोग पुनःभरण हेतु किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/1891/ख.लि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 23/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–धौराभाठा) का क्षेत्रफल 2.312 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री साई सहारा ट्रेडर्स (पार्टनर – श्री विजय कुमार शर्मा, धौराभाठा लो–ग्रेड लाईम स्टोन क्वारी) को ग्राम–धौराभाठा, तहसील–भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के खसरा क्रमांक 39, 52/2, 53, 61/1 एवं 63/2 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.312 हेक्टेयर, क्षमता – 33,982 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स लाईम स्टोन क्वारी माईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री दीनदयाल अग्रवाल), ग्राम–मुड़ीपार, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2280)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 413046/ 2023, दिनांक 03/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/01/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुड़ीपार, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 164 एवं 169/1, कुल क्षेत्रफल–1.065 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 20,943.8 टन प्रतिवर्ष से 42,285 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लक्ष्मेन्द्र अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 164 एवं 169/1, कुल क्षेत्रफल 2.68 एकड़ (1.085 हेक्टेयर), क्षमता–20,943.8 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्माघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 07/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 06/01/2022 की अवधि तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 06/01/2023 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किये जाने की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः समिति का मत है कि वृक्षारोपण कर पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 200/तीन–6/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 31/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017–18	10,945
2018–19	16,000
2019–20	9,736
2020–21	13,900
2021–22	18,000
2022–23 (31 दिसंबर 2022 तक)	10,500

v. समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2023 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भड़ापाली का दिनांक 22/07/1995 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – स्कीम ऑफ वर्कारी माईनिंग प्लान एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 6752/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.08/2021(1) नया रायपुर, दिनांक 29/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1879/ख.लि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 22/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 12 खदानें, क्षेत्रफल 1,648.698 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1879/ख.लि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 22/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट, बांध एवं जलआपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री दीनदयाल अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 04/03/1996 से 03/03/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 04/03/2016 से 03/03/2026 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुड़ीपार 500 मीटर, स्कूल ग्राम–मुड़ीपार 700 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–मुड़ीपार 680 मीटर की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। जमुनिया नदी 8.98 कि.मी., बंजारी

नाला 7.1 कि.मी., बलोदा नहर 580 मीटर एवं खोरसी नाला 7.59 कि.मी. दूर है। डाबाडीह रिजर्व फारेस्ट 2.95 कि.मी., लतवा रिजर्व फारेस्ट 8.37 कि.मी. एवं सोनबरसा रिजर्व फारेस्ट 9.33 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,82,687 टन, माईनेबल रिजर्व 1,80,262 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,71,249 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,185 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सैमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	34,605
द्वितीय	38,182.5
तृतीय	42,285
चतुर्थ	35,190
पंचम	30,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 650 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 3,185 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,380 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर एवं 735 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने हेतु अर्थदण्ड राशि रूपये 1,76,875/– लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/11/2021 द्वारा अर्थदण्ड राशि रूपये 1,76,875/– खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को

आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक viii (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. दिनांक 01/01/2023 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त अनुसार वृक्षारोपण कर पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जैसे उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/04/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/06/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 475वीं बैठक दिनांक 14/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर में दिनांक 09/01/2023 एवं 01/03/2023 को आवेदन किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही एस.ई.ए.सी. के ज्ञापन दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया गया है, जो कि अप्राप्त है।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओ.आर. जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मड़ापाली का दिनांक 14/12/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1225/बी 3-3/न.क्र./2023 बलौदाबाजार, दिनांक 15/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

दिनांक	उत्पादन (टन)
दिनांक 01/01/2023 से 06/01/2023 तक	460
दिनांक 07/01/2023 से 31/01/2023 तक	निरंक
फरवरी 2023	
मार्च 2023	

4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमंडल, बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/1127 बलौदाबाजार, दिनांक 21/04/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र कक्ष क्रमांक 10 लटुवा से 8.61 कि.मी., कक्ष क्रमांक 24 खैरदारडीह से 2.99 कि.मी., कक्ष क्रमांक सी.पी.एफ.-1 सूगा से 19.3 कि.मी. एवं कक्ष क्रमांक 20 बनसांकरा (सिमगा) से 36 कि.मी. की आकाशीय दूरी पर है।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त अनुसार वृक्षारोपण कर पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1879/ख.नि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 22/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 12 खदानें, क्षेत्रफल 1,648.696 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ीपार) का रकबा 1.085 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ीपार) को मिलाकर कुल रकबा 1,649.783 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जीच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) माँन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(डॉ. राहुल वेंकट)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF RE-ROLLED PRODUCTS THROUGH INDUCTION FURNACE WITH CCM (HOT CHARGE) OF CAPACITY- 30,000 TONNES / YEAR TO 59,500 TONNES / YEAR OF M/S CHHATTISGARH FERRO TRADERS PRIVATE LIMITED, VILLAGE-GONDWARA, URLA INDUSTRIAL AREA, DISTRICT – RAIPUR, PLOT NO. 4 & 5, AREA – 4.09 ACRE

This environmental clearance is being given subject to the following conditions. These conditions should be read very carefully and it should be ensured to follow them strictly.

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

iv. Industry shall not install any reheating furnace based rolling mill under any circumstances, if industry fails to comply this condition the Environmental Clearance shall be treated as cancelled. Only hot charging based rolling mill shall be operated. Induction furnace shall be operated electrically only.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time, and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in Induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure that particulate matter emission less than 28 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control

equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter in Induction Furnace	28 mg/Nm^3 (Twenty Eight Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

viii. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

x. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) if required. The waste water generated during the process shall be reused in colling purpose. MBBR based sewage treatment arrangement of capacity 6 KLD shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Treated water shall be utilized in plantation and dust suppression. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

vii. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA).

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction/ will be given to brick manufacturer/cement units. Used oil shall be given to authorized recyclers / agencies.

ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP (if any) and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed with in the premises in an area not less than 47% (0.777 Ha) of the total plant area. Green belt shall be developed with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
300	1%	3	Following activities at Village-Gondwara	
			Plantation around Pond	6.82
			Total	6.82

ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned Authority.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted

to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Additional Conditions

i. If any waste comes under Hazardous category, project proponent shall obtain authorization of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.

ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.

iii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

iv. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

v. No additional land shall be acquired for this project.

vi. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.

vii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

viii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

ix. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

x. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the

ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xiii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xiv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xvi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xvii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fulfilled.

xviii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xix. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xx. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

मेसर्स श्री साई सहारा ट्रेडर्स
(पार्टनर – श्री विजय कुमार शर्मा, धौरामाठा लो–ग्रेड लाईम स्टोन क्वारी)
को खसरा क्रमांक 39, 52/2, 53, 61/1 एवं 63/2, कुल लीज क्षेत्र 2.312 हेक्टेयर, ग्राम–धौरामाठा, तहसील–भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 33,982 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.312 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 33,982 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

9. किसी क्रिमनी / वेट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
56	2%	1.12	Following activities at nearby, Govt. Middle School Village-Lebal	
			Potable drinking water facility with 5 year AMC	0.50
			Plantation with fencing	0.69
			Total	1.19

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

19. सी.ई.आर. के तहत् (नीम, आम, जामुन, पीपल, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 17,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 50,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

20. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

22. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 650 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

23. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 460 नग पौधों का रोपण (कुल 1,110 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त

वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफस सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

26. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

28. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

32. पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

33. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

36. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

38. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्सार के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय

और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.